<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 227/2015+318–2016

दिनांक 22.03.2025 सभी चार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की हाजिरी दी गयी, शेष तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया जिसे आज भर के लिए स्वीकृत किया गया, शेष एक अनुपस्थित अभियुक्त अगली तिथि को उचित पैरवी करें। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा अभी भी डॉक्टर पंकज कुमार, एसोशियट प्राफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन पी.एम.सी.एच. तथा धर्मवीर भारती थानाध्यक्ष तिसिऔता को प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि यह अभिलेख दिनांक 04.08.2016 को आरोप गठन करने के उपरांत अभियोजन साक्ष्य करने हेतु लंबित है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इन दोनों सरकारी साक्षियों पर जमानतीय वारंट निर्गत करें एवं आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली एवं पटना तथा अधीक्षक पी0एम0सी0एच0 को तत्काल प्रेषित करें। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि यह वाद धारा 302 एवं 307 भा0द0वि0 से संबंधित है तथा अत्यंत ही गंभीर अपराध से संबंधित है। यदि अभिलेख चार तिथियों में अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश जिसमें दस वर्ष से पुराने वादों को यथाशीघ्र निष्पादित करना है के निर्देश के अनुपालन में अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जायेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की समझी जायेगी। पीठ लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक पन्द्रह दिनों के अंतराल पर अभिलेख न्यायालय को प्रस्तुत करें।

दिनांक साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

Web Copy not Official